बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–6/प्रा0 आ0– 110/2009 –५९१(आ0) पटना, दिनांक– 08/01/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बक्सर।

विषयः– वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के सूखाग्रस्त बक्सर जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अभावग्रस्त टोलों में सोलर पम्प/डिजल जेनरेटिंग सेट/ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत पर आधारित पम्प के साथ 3 अधूरे मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश मद से रू0 3.62971 लाख (तीन लाख बासठ हजार नौ सौ एकहत्तर रुपये मात्र) की राशि की विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में राज्य के 26 सूखाग्रस्त जिलों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अभावग्रस्त टोलों में सोलर पम्प/डिजल जेनरेटिंग सेट/ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत पर आधारित पम्प के साथ 400 मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के लिए स्वीकृत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक–6/प्रा0 आ0– 110/2009 – 26, दिनांक– 06.01.10 के द्वारा कुल रू0 7860.00 लाख (अठहत्तर करोड़ साठ लाख रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पम्प/ डिजल जेनरेटिंग सेट / ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत पर आधारित पम्प के साथ अधूरे मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु **लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बक्सर** को केन्द्रांश मद से रू0 **3.62971** लाख **(तीन लाख बासठ हजार नौ सौ एकहत्तर रुपये मात्र)** की राशि निम्न तालिका के अनुसार बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के **प्रोग्राम फण्ड से बैंक खाते** के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	लो0 स्वा0 प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वार्ड सं0	मिनी जलापूर्ति योजना का नाम	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बक्सर	ग्रामीण क्षेत्रों के अभावग्रस्त टोलों में सोलर पम्प/डिजल जेनरेटिंग सेट/ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत पर आधारित पम्प के साथ जला0 यो0।	ब्रहमपुर	इकराशि	खोचरियावँ	1	खोचरियावँ	चालू
2			चौगाई	गरासहरिया	ओझाँ बरॉव	1	ओझाँ बरॉव	चालू
3			चौगाई	नचाप	बिरपुर	1	बिरपुर	चालू

3 बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत **प्रोग्राम फण्ड** के **बैंक खाते** के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए।

4. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

5. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

APSingh 3.1.2018
(दिनेश्वर प्र0 सिंह)
अभियंता प्रमुख --सह --विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 / प्रा0 आ0– 110 / 2009 –399 (आ0) पटना, दिनांक– 08/01/2018

प्रतिलिपि-- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र, पटना / अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि--सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के **प्रोग्राम फण्ड** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, **बक्सर** को उक्त राशि बैंक खाते के माध्यम से विमुक्त की जाय।

3 प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता (मो0) को दो प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियंता (मो0) 1 / कार्यपालक अभियंता (मो0)– 2 / सहायक अभियंता (मो0) / प्रभारी, डाटा सेन्टर / प्रशाखा पदाधिकारी– 6 / रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / कार्यवाह सहायक प्रशाखा – 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. प्रतिलिपि– आप्त सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

5. प्रतिलिपि– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

APSingh 3.1.2018
(दिनेश्वर प्र0 सिंह)
अभियंता प्रमुख –सह –विशेष सचिव